फाइल नं0-71-3099/116/2024-03

49/2025/I/922080/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक 28 मार्च, 2025

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर में इंडोर स्पोर्ट काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु तथा सी0सी0 रोड, नाली निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/683, दिनांक 19.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, शाहजहाँपुर में इंडोर स्पोर्ट काम्प्लेक्स के निर्माण हेतु तथा सी0सी0 रोड, नाली निर्माण एवं नाली मरम्मत कार्य हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 331.37 लाख (रू0 तीन करोड़ इक्तीस लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च,2024 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जाएगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(5) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

(6) प्रायोजना के मूल स्वीकृति आदेश के अंकित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 3,31,37,000 (रुपये तीन करोड़ इक्तीस लाख सैंतीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 031 लेखाशीर्षक 42100310581 मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार, (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
4. प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर।
5. वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, शाहजहॉपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. वरिष्ठ कोषाधिकारी, शाहजहॉपुर।
8. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य निर्माण सहकारी संघ लि0 (पैक्सफेड), लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।